

मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
::मंत्रालय::

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 25 फरवरी, 2015
क्रमांक एफ-16-34/2013/बी-ग्यारह: राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि मेसर्स
रूचि सोया इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के लगभग रूपये 102 करोड़ के स्थाई पूंजी निवेश से गुना
जिले में साल्वेक्स एक्स्ट्रक्शन प्लांट एवं सोया प्रोडक्ट्स निर्माण की नवीन परियोजना के
प्रस्ताव पर शीर्ष स्तरीय निवेश संवर्धन साधिकार समिति की बैठक दिनांक 26.04.2010 में
लिये गये निर्णय एवं उसके अनुपालन में जारी विभागीय आदेश क्रमांक
एफ-20-05/2010/बी-ग्यारह, दिनांक 16.06.2010 को एतद् से निरस्त किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मोहम्मद सुलेमान)

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

पृ. क्रमांक एफ-16-34/2015/बी-ग्यारह : भोपाल, दिनांक 25 फरवरी, 2015
प्रतिलिपि:-

- 1/ प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
- 2/ प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग/कृषि विकास एवं कल्याण
विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
- 3/ उद्योग आयुक्त, उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- 4/ आयुक्त, ग्वालियर सम्भाग, ग्वालियर।
- 5/ प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड
भोपाल।
- 6/ कलेक्टर जिला गुना।
- 7/ प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, ग्वालियर।
- 8/ महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जिला गुना
- 9/ मेसर्स रूचि सोया इण्डस्ट्रीज लिमिटेड 301, महाकौष हाउस 7/5 साउथ टुकोगंज
इन्दौर-01

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु


उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग